# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक : 001/विस/सम्मे–132/2018 रायपुर, दिनांक 16 मई, 2018

## स्मृति चिन्ह हेतु निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ राज्य की चतुर्थ विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत डिजाईन एवं नमूने के अनुरूप दो भिन्न साईज के लगभग 350 स्मृति चिन्ह तैयार कर प्रदाय करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी फर्म से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 20,000/– का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. जो सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, के पक्ष में देय हो, एक पृथक लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रथम दृष्टया अमान्य कर दी जावेगी ।

निविदा की विस्तृत शर्तें एवं विधान सभा सचिवालय द्वारा स्मृति चिन्ह की स्वीकृत डिजाईन व नमूने का अवलोकन, निविदाकार द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय स्थित कक्ष क्र. बी–41 "सम्मेलन शाखा" में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक किया जा सकेगा साथ ही निविदा की विस्तृत शर्तें विधान सभा की वेबसाईट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी, उपलब्ध होंगी ।

विधान सभा सचिवालय के कक्ष क्रमाक बी–41 से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 जून, 2018 तथा निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 07 जून, 2018 अपरान्ह 03.00 बजे तक होगी ।

सचिव<br>
छत्तीसगढ़ विधान सभा

# छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर

# निविदा की शर्तें

विषयः **चतुर्थ छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रदाय हेतु 'स्मृति चिन्ह' तैयार कर प्रदाय करने का कार्य ।**

## 1. निविदा प्रपत्र संबंधी निर्देश

1.1 छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पांईट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर (छ.ग.) के कक्ष क्रमांक बी–41 ''सम्मेलन शाखा'' से खाली निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05 जून, 2018 को सायं 04.00 बजे तक एवं पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र 01 नमूने (Sample) सहित जमा करने की अंतिम तिथि 07 जून, 2018 को अपरान्ह 03.00 बजे तक होगी।

1.2 निविदाकार से अपेक्षित है कि निविदा प्रपत्र जमा करने के पूर्व, निविदा संबंधी समस्त शर्तों को अवश्य पढ़ लें। त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट एवं भ्रामक जानकारी एवं बिना अमानत राशि के साथ भरे हुए निविदा प्रपत्र अमान्य हो सकते हैं।

1.3 निविदा के एक लिफाफे में निविदाकार का विवरण जिसमें उनके कार्य अनुभव का विवरण तथा अद्यतन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । द्वितीय लिफाफे में निविदा प्रपत्र एवं दोनों साईज के स्मृति चिन्हों की पृथक–पृथक प्रति नग दर प्रस्ताव, इस प्रकार इन दोनों लिफाफों को सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को संबोधित करते हुए एक अन्य सीलबंद लिफाफे में रखकर, लिफाफे के ऊपरी भाग पर **'माननीय सदस्यों हेतु स्मृति चिन्ह प्रदाय का कार्य'** अंकित कर, इस सचिवालय की 'सम्मेलन शाखा (कक्ष क्रमांक बी–41) में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। विलंब से प्राप्त किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

## 2. <u>स्मृति चिन्ह हेतु मापदण्ड (Specifications)</u>

2.1 निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार को विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत डिजाईन एवं नमूने के अनुरूप 01 स्मृति चिन्ह का नमूना जो निविदाकार द्वारा तैयार कर प्रदाय किया जाना है, भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

2.2 स्वीकृत डिजाईन अनुसार तैयार किये जाने स्मृति चिन्ह दो साईजों में निम्न विवरणानुसार होंगे :–

1) 9'' ऊंचाई x 7.5'' लंबाई होगी। (लगभग 110 नग प्रदाय योग्य)
2) 7'' ऊंचाई x 6'' लंबाई होगी । (लगभग 240 नग प्रदाय योग्य)

2.3 उपरोक्त प्रदाय किये जाने योग्य स्मृति चिन्हों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है ।

2.4 विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत डिजाईन, स्पेसिफिकेशन एवं नमूने के अनुरूप ही स्मृति चिन्ह प्रदाय करना होगा ।

2.5 निर्मित किये जाने वाले समस्त स्मृति चिन्ह स्वीकृत डिजाईन एवं साईज के अनुसार होंगे। जिन्हें एक आर्कषक व मजबूत ब्लू – वेलवेट कव्हर (बाहर एवं अंदर), क्लिप लॉक युक्त वुडन बॉक्स में, रखकर देना होगा । प्रत्येक स्मृति चिन्ह पर मुद्रित किए जाने वाले मैटर को भी स्मृति चिन्ह पर यथास्थान मुद्रित कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

2.6 स्मृति चिन्ह तैयार करने में उसकी दर के साथ उसकी डिजाईन, उसकी पेकिंग व कार्य की उच्च गुणवत्ता बहुत महत्वूपर्ण है । अतः निविदाकार से अपेक्षित है कि समस्त स्मृति चिन्ह स्वीकृत डिजाईन अनुसार ही आकर्षक व उच्च गुणवत्तायुक्त हो ।

2.7 स्मृति चिन्ह का नमूना स्वीकृत डिजाईन एवं नमूने के अनुसार तैयार करते हुए पैकिंग वेलवेट बॉक्स में रखकर, **<u>निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।</u>**

3. **स्मृति चिन्ह हेतु दर प्रस्ताव**

3.1 निविदाकार के द्वारा, प्रति स्मृति चिन्ह हेतु दी जाने वाली दर, में संपूर्ण व्यय यथा, स्मृति चिन्ह तैयार करने, आदेशित मैटर को प्रत्येक स्मृति चिन्ह पर मुद्रित करने, निर्धारित अनुसार बॉक्स में पैकिंग करने एवं उसे निर्धारित स्थान, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर तक डिलिवरी करने हेतु समस्त टेक्सेस, परिवहन व अन्य संबंधित व्यय सम्मिलित होने चाहिए। अर्थात स्वीकृत दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किया जावेगा। जी.एस.टी.एवं अन्य करों का उल्लेख पृथक से स्पष्ट रूप में अंकित किया जा सकेगा ।

3.2 निविदाकार के द्वारा दी जानी वाली दरें आगामी 06 माह की अवधि तक अपरिवर्तनीय होंगी ।

4. **अमानत राशि का विवरण**

4.1 निविदाकार की निविदा को स्वीकार किये जाने के पश्चात्, निविदाकार द्वारा कार्य के निष्पादन से इंकार किये जाने की स्थिति में जमा की गई अमानत राशि राजसात योग्य होगी, तथा राजसात की गई राशि के संबंध में निविदाकार का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

5. **सुरक्षा निधि**

5.1 सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई अमानत राशि 'सुरक्षा निधि' के रूप में सचिवालय में सुरक्षित रखी जावेगी जो स्मृति चिन्ह प्रदाय कार्य सफलतापूर्वक निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के उपरांत बिना किसी ब्याज के 01 माह के पश्चात् वापस की जावेगी ।

6. **अन्य**

6.1 चूंकि स्मृति चिन्ह, माननीय विधायकों को प्रदाय हेतु निर्मित किये जाने हैं, अतः सफल निविदाकार के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे सचिवालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा में ही समस्त स्मृति चिन्ह, वांछित अनुसार त्रुटिरहित मैटर मुद्रित व पैंकिंग करते हुए सुरक्षित सचिवालय को उपलब्ध करायेंगे ।

6.2 निर्धारित अवधि व समय पश्चात् प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होंगी।

6.3 सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेंगे ।

6.4 निविदाकार के द्वारा प्रदायित स्मृति चिन्ह सचिवालय द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार न होने या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की दशा में सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को देय भुगतान में से गुणवत्ता अथवा सेवा में कमी के एवज में राशि की कटौती करे ।

6.5 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

**मुझे उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं ।**

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं
फर्म का सील
मोबाईल नं. ................